न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-118/2022 दायर दिनांक: 05.07.2022

GCMS NO:- 2022/275

पीठासीन अधिकारी :-शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आर.ए.एस.)

1. गोपाल पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. धनराज पुत्र गोपाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

—वादीगण—

बनाम

1. श्योकिशन पुत्र छीतर जाति बैरवा निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. भोमा पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. हरिशंकर पुत्र खाना जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. पुरूषोत्तम पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. हरगोविन्द पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
6. मथूरा बाई बेवाकिशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
7. हनुमान पुत्र किशनलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
8. रामफूल पुत्र लाला जाति मीणानिवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
9. लड्डूलाल पुत्र रामदेवजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
10. शंकरलाल पुत्र खानाजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
11. श्योजी पुत्र भोमाजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
12. लक्ष्मीनारायण पुत्र मोतीजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
13. रामधन पुत्र मोतीजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
14. रामदेव पुत्र बद्रीलालजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
15. श्योजीलाल पुत्र रामधनजाति धाकड निवासी ग्राम चावण्डपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
16. शाखा प्रबन्धक, बून्दी चित्तौड ग्रामीण बैंक शाखा समीधी तहसील नैनवां जिला बून्दी।
17. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा शाखा नैनवॉतहसील नैनवां जिला बून्दी।
18. जिला कलक्टर महोदय, बून्दी जिला बून्दी।
19. राजस्थान सरकार भू-स्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवां जिला बून्दी।

—प्रतिवादीगण—

वाद पत्रः— अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थिति—

वादीगण की ओर से वकील श्री रमेश कहार

प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री राजेन्द्र नागर, श्री रामस्वरूप धाकड एवं श्री रामबाबू शर्मा

निर्णय दिनांक 30.01.2023

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा स्थित है। यह कि ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 212/09-13, 563/00-18, 632/05-09, 686/08-06 बिघा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा स्थित है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी गोपाल का हिस्सा 1/4 व चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 686 में वादी धनराज का हिस्सा 1/3 निहित है तथा वादीगण अपने हिस्सानुसार उक्त भूमि पर काबिज होकर शांति पूर्ण रूप से कृषि काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादीगण वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित अपने खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि में आने जाने व कृषि यंत्रों को लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 695 व 694 में होते हुए अपनी भूमि खसरा संख्या 278 व 686 में पहुंचते हैं। [illegible] परिशिष्ट क में लाल रंग से दर्शाया है। यह कि प्रत्यार्थीगण 1 ने रास्ता तरमीम [illegible] के कारण गेती फावडे से खोद कर कांटे डाल कर रास्ता अवरूद्व कर दिया है। यह [illegible] है। यह कि उक्त रास्ते के अलावा वादीगण के खाते की जमीन पर आने जाने का अन्य [illegible] रास्ता नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने खाते की भूमि पर आने जाने व कृषि [illegible] रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है। जिसकी राशि प्रार्थी नियमानुसार जमा [illegible] तैयार है। वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में परिशिष्ट क ,नकल जमाबंदी, नकल नक्शा ट्रेस तथा बयानों के शपथ-पत्र आदि पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण 2, 4 लगायत 7 एवं 10 लगायत 11 ने इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण का वाद मुताबिक वाद पत्र डिकी कर दिये जाने में प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 684 रकबा 15 बीघा 10 बिस्वा पर दूसरे से रकम उधार तथा बैंक

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

केसीसी का ऋण लेकर वडी धन राशि खर्च कर खसरा संख्या 684 के चारों ओर डोलवन्दी करवा रखी है ताकि खेत का पानी खेत में रहे, भूमि का कटाव न हो, विना पानी की पिलाई के फसल हो सके तथा भूमि खेत सुरक्षित रहे। यह कि वादीगणों को पावंद फरमाया जावे कि प्रतिवादी संख्या 684 में किसी प्रकार की छेडछाड न तो स्वयं करे न ही अन्य से ऐसा करवायें।

वाद पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत केम्प कोर्ट समीधी दिनांक 29.10.2021 में पेश हुआ। माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के निर्णय दिनांक 10.06.2022 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.10.2021 को निरस्त कर पक्षकारान के युक्तियुक्त सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नया रास्ता कायम करने के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के नियम 69 की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय कोटा के आदेश की अनुपालना रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में तहसीलदार नैनवां से पुनः रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 278 व 686 में आने–जाने हेतु रास्ता 251 अ के अन्तर्गत रास्ता चाहा गया है। जिस हेतु रिकार्ड में कोई रास्ता मौजूद नहीं है। मौके की स्थिति के अनुसार खसरा संख्या 696 गै0मु0 रास्ता दर्ज है। इस रास्ते के समीप स्थित प्रार्थी का सहखातेदारी का खेत खसरा सं0 694 है। गै0मु0 रास्ते से खसरा सं0 694 में होते हुए खसरा संख्या 691 की दक्षिणी मेड तक सीसी रोड वना हुआ है, जो कि आवागमन के काम आता है। प्रार्थी को मौके के अनुसार खसरा सं0 278 व 686 तक पहुंचने के लिए खसरा संख्या 691 से खसरा संख्या 684,685,678 में से वांछित रास्ता दिया जा सकता है।

ख0न0	रकबा	किस्म	नाप	क्षेत्रफल
691	0.8575	बा0 2	72*2= 144 वर्ग गट्ठा	90.0582 हैक्ट.
684	2.5079	बा0 2	60*1= 60 वर्ग गट्ठा	0.0243 हैक्ट.
			10*2= 20 वर्ग गट्ठा	0.0081 हैक्ट.
685	1.9416	बा0 2	70*1= 70 वर्ग गट्ठा	0.0283 हैक्ट.
678	2.4998	बा0 2	10*1= 10 वर्ग गट्ठा	0.0040 हैक्ट.

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बरान पर जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, जवाब प्रतिवादीगण, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज एवं पुनः रास्ता रिपोर्ट तहसीलदार नैनवां का अवलोकन किया। वकील उभय पक्षकारान की वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट क्रमांक 3086 दिनांक 22.09.2022 में वादीगण को प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 278 रकबा 18 बीघा 17 बिस्वा तथा ग्राम चावण्डपुरा पटवार मण्डल समिधी तहसील नैनवां की भूमि खसरा संख्या 212/09–13, 563/00–18, 632/05–09, 686/08–06 बिघा कुल किता 4 रकबा 24 बीघा 06 बिस्वा स्थित भूमि पर पहुंचने के लिए तहसीलदार नैनवां द्वारा प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

ख0न0	रकबा	किस्म	माप	क्षेत्रफल
691	0.8575	बा0 2	72*2= 144 वर्ग गट्ठा	90.0582 हैक्ट.
684	2.5079	बा0 2	60*1= 60 वर्ग गट्ठा	0.0243 हैक्ट.
			10*2= 20 वर्ग गट्ठा	0.0081 हैक्ट.
685	1.9416	बा0 2	70*1= 70 वर्ग गट्ठा	0.0283 हैक्ट.
678	2.4998	बा0 2	10*1= 10 वर्ग गट्ठा	0.0040 हैक्ट

यह कि प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है, जिसे नक्शा ट्रेस परिशिष्ट "व" में लाल स्याही से अंकित किया गया है के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। जितनी भूमि रास्ते [illegible] आयेगी उतनी भूमि की कीमत का नियमानुसार प्रतिकर जमा होने के उपरान्त रास्ता [illegible] व रि[illegible] में कायम किया जावे। नक्शा परिशिष्ट को परिशिष्ट 'व' नाम दिया गया है जो न्यायालय [illegible] णय का अभिन्न अंग होगा। तहसीलदार नैनवां को आदेशित किया जाता है कि मौके [illegible] नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.07.03 13:02:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखा[illegible]कर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवा (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)